

| | |
|----------------|------------------------------------|
| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज |
|----------------|------------------------------------|

22/6/21 पत्रावली पेश हुई। वकुलाम उपस्थित/पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने कारण, पत्रावली दिनांक..... को पेश हो।
26/7/21

~~26/7/2021 पत्रावली पेश हुई। वकुलाम उपस्थित/पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने कारण, पत्रावली दिनांक 17/8/2021 को पेश हो।~~
के के कारण
28
25/8

17/8/2021
वकुलाम उप०
पत्रावली में बच्चा उस्ताव तहसीलदार कार्यालय देसूरी से प्राप्त नहीं हुआ है। अतः पुन लिखा जावे। पत्रावली आपदा दिनांक 14/9/2021 को पेश है।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

14/9/2021
वकुलाम उप०
पत्रावली में तहसीलदार देसूरी के कार्यालय से बच्चा उस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अतः पुन लिखा जावे। पत्रावली वास्तु बच्चा उस्ताव हेतु आपदा दिनांक 11/10/2021 को पेश है।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

22/9/2021
बादी गजारा मय अधिवक्ता श्री मकरलाल मीणा उप० उतिवादी गण के वकील श्री किनेमकुमार माली उप० बादी के अधिनापक अन्तर्गत धारा 151 C.P.C. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि बादी खबर उतिवादी गणों के मध्य आपसी समझौता हो गया है। इसी कारण बाद को विडाल करने के आदेश करके पत्रावली नियत तिथि से लगेब कि जाकर आज ही बाद विडाल करमाया जावे। प्रस्तुत अधिनापक पर बादी मय अधिवक्तागण को खुता गया। उन्होने बादी मय के निवेदन अनुसार महाकार में समझौता हो जाने से बादी बाद को विडाल करने कि रतमति दी गई। अतः बाद बादी जरीये विडाल खारीज किया जाता है। निर्णय खुनाया गया। पत्रावली फलतः प्रुमार ही कर बाद तहसील जावला दारिखल दफतर है।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

द्वितीय नदी
सुमाना मय
जेराम